TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs./ 95/1R dated 14.07.2014, namely:-

AMENDEMENTS

In the said notification,-

1. in serial number 1, for the existing expression "4% of the cost of vehicle" in column number 3 against item (i) under the head "**(A) Two wheeled vehicles having engine capacity**" of column 2 of the table, the expression "6% of the cost of vehicle" shall be substituted.

2. in table, after the existing serial number 5 and entries thereto, the following new serial number 6 and entries thereto shall be added, namely: –

"

6.	Purely off-highway vehicle	
	(a) Purchased as a chassis	7.5% of the cost of chassis.
	(b) Purchased with a complete body	6.0% of the cost of vehicle.

"

3. after the existing Explanation (2), the following new Explanation (3) shall be added, namely:-

"(3) Purely-off highway vehicle means a motor vehicle either used as a construction equipment or designed and adapted for use in any enclosed premises, factory or mine, equipped to travel on its own source of power."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1S]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification No. F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/2 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby notifies that following classes of Motor vehicles registered or assigned in the State on or after 01.04.2007 shall be required compulsorily to pay Lump Sum Tax under section 4-C instead of tax payable under clause (a) or (e) of sub- section (1) of section 4 and section 4-B of the said Act:-

1. All categories of Four Wheeled Goods Vehicles having Gross Vehicle Weight more than 3000 kg. and upto 7500 kg.
2. All categories of Motor Cabs having seating capacity upto six excluding driver.
3. All categories of Maxi Cabs having seating capacity more than six but not more than twelve seats excluding driver.

This shall have effect from 01.04.2015.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts from the payment of One Time Tax payable under section 4 of the said Act on the four wheeled carriages retrofitted/adapted with the kit for physically challenged persons and solely used by the physically challenged person, having cost not exceeding rupees eight lakh.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/4]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 9, 2015

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, Penalty and Interest payable, if any, on destroyed vehicles if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable up to the date on which vehicle destroyed is deposited on or before 30-06-2015;

(ii) exempts from payment of penalty and interest payable on due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax up to 31.03.2012 on vehicles other than destroyed vehicles, if interest and penalty, if any, for the period 01-04-2012 to date of realization and all payable Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time tax, Lump Sum Tax is deposited on or before 30-06-2015.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner shall apply before the Taxation Officer for the exemption.

(ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.

(iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by Registering Authority.

(iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.

(v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/6]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts fifty percent of Special Road Tax payable under section 4-B of the said Act, on the air conditioned passenger vehicles, except sleeper coach, having seating capacity more than 30 including driver and conductor, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the vehicle shall be registered in the State of Rajasthan in the name of tourist transport operator;

(ii) that the tourist permit of the vehicle shall be issued by competent authority of State of Rajasthan in the name of recognized tourist operator; and

(iii) that the tourist transport operator shall be recognized by Ministry of Tourism, Government of India, Indian Association of Tour Operators (IATO) and Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) and approved as such by the Transport Commissioner.

This notification shall have effect from 01.4.2015 and shall remain in force upto 31.3.2018.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/5]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification No. F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the table of the said notification, in proviso to serial number 1, for the existing expression "subject to the maximum of Rs. 12,000 per annum", the expression "subject to the maximum of Rs. 15,000 per annum" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.303.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(179)परि/कर/मु./95/1 आर दिनांक 14.07.2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. क्रम संख्यांक 1 में, सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 के शीर्ष "**(क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया यान**" के अधीन मद संख्यांक (1) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "यान की लागत का 4 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यान की लागत का 6 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।
2. सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

6.	शुद्ध ऑफ-हाइवे यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 7.5 प्रतिशत
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये	यान की लागत का 6 प्रतिशत

"

3. विद्यमान स्पष्टीकरण (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(3) "शुद्ध ऑफ-हाइवे यान" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो या तो निर्माण उपस्कर के रूप में प्रयुक्त किया गया है अथवा किसी बंद परिसर, कारखाना अथवा खान में उपयोग हेतु डिजाइन किया हुआ और अनुकूलित हो और अपनी स्वयं की शक्ति के स्त्रोत से चलने हेतु सज्जित हो।"

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1एस]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.306.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179) परि/टैक्स/एचक्यू/95/2 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि 01.04.2007 को या इसके पश्चात् राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट मोटर यानों के निम्नलिखित प्रवर्गों से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ङ) और धारा 4-ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से संदाय करना अपेक्षित होगाः-

1. 3000 किग्रा से अधिक और 7500 किग्रा तक सकल भार वाले चार पहिया माल यानों के समस्त प्रवर्ग।
2. ड्राइवर को छोड़कर छह तक की सीट क्षमता वाले मोटर कैबों के समस्त प्रवर्ग।
3. ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक किन्तु बारह से अनधिक सीट क्षमता वाले मैक्सी कैबों के समस्त प्रवर्ग।

यह 01.04.2015 से प्रवृत्त होगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/3]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.307.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निःशक्तजनों के लिए किट रिट्रोफिटिड/ अनुकूलित और अनन्य रूप से निःशक्तजन के उपयोग में लिए जाने वाले आठ लाख रुपये से अनधिक लागत वाले चार पहिया वाहनों को, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय एकबारीय कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/4]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.305.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मिलित करते हुए 30 से अधिक की बैठक क्षमता वाले स्लीपर यान से भिन्न वातानुकूलित यात्री यानों पर उक्त अधिनियम, 1951 की धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के 50 प्रतिशत छूट इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. यह कि यान राजस्थान राज्य में पर्यटक परिवहन संचालक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होगा।
2. यह कि यान का पर्यटक अनुज्ञापत्र मान्यताप्राप्त पर्यटक संचालक के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
3. यह कि पर्यटक परिवहन संचालक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, इंडियन ऐसोसिऐशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स से मान्यताप्राप्त होगा और परिवहन आयुक्त द्वारा इसी रूप में अनुमोदित होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2015 से प्रवृत होगी और 31.03.2018 तक प्रभावी रहेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/5]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.308.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर देय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई संदेय हो तो उसे छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक का देय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार दिनांक 30.6.2015 तक निक्षिप्त करा दिये जायें;

(ii) वे यान जो नष्ट नहीं हुए हैं को 31.3.2012 तक की कालावधि तक के देय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर पर देय शास्ति और ब्याज से छूट देती है यदि 01.4.2012 से वसूली की तारीख तक की शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, तथा समस्त संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर 30.6.2015 या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिये जायें।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

(ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।

(iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जायेगा।

(iv) पूर्व में संदत्त सरचार्ज, शास्ति या ब्याज को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की रकम, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(v) छूट के संबंध में किसी विवाद के प्रोद्भूत होने की दशा में परिवहन आयुक्त का विनिश्चिय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरणः यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/6]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.304.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं.11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/कर/मु./95/3एच दिनांक 01.03.2002 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारिणी में, क्रम संख्यांक 1 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम 12000/- रु. प्रतिवर्ष के अध्यधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिकतम 15000/- रु. प्रतिवर्ष के अध्यधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/3एम]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव